विविध **बैंक प्रकरण संख्या 32/2022**(GCMS : **2022/52**) **एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.** रजिस्टर्ड कार्यालय एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट) मुम्बई– 400013 एवं **शाखा कार्यालय** फोर्थ फ्लोर, 10, सैन्ट्रल स्पाईन, टाईम स्कवायर बिल्डिंग, विधाधर नगर, **जयपुर (राज.) बनाम 1. मैसर्स कृष्णा ऑटोमोबाईल्स पता वार्ड नम्बर 10, पुराना** बस स्टेण्ड के पास, अनूप**गढ़, जिला श्रीगंगानगर –335701, राज.** प्रो. हिमानी कंवर **2.** हिमानी कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह पता वार्ड नम्बर 10, पुराना बस स्टेण्ड के पास, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर – 335701, राज. **3. विरेन्द्र सिंह** पुत्र नाथु सिंह पता वार्ड नम्बर 10, पुराना बस स्टेण्ड के पास, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर – 335701, राज.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कृष्णा ऑटोमोबाईल्स – प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कंवर एवं विरेन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 2.00/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 16.08.2017 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह की सम्पत्तियों वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 09.08.2021 को 2,63,86,171/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 09.08.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.08.2021 को भिजवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी विरेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पत्तियां वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स कृष्णा ऑटोमोबाईल्स प्रो. हिमानी कंवर, हिमानी कंवर एवं विरेन्द्र सिंह को 2.00/— करोड़ रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 16.08.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2018 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.08.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.08.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी विरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी सम्पत्तियां वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर [illegible] 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंध[illegible] निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 09.08.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 09.08.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.08.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी विरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और विरेन्द्र सिंह की सम्पत्तियां वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट), वार्ड नम्बर 11 (पुराना वार्ड नम्बर 02) अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 60′ वर्गफीट) **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति [illegible] क कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुस[illegible] जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिल[illegible]गानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि[illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर